IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 29, Issue 10, Series 1 (October, 2024) 63-72
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

राजस्थान में लघु उद्योगों के स्थानीयकरण का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. चिरन्जी लाल रैगर
सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़, जिला अलवर राजस्थान

शोध सारांश

मानवीय विकसित अर्थव्यवस्था में वस्तु निर्माण उद्योग का विशेष महत्व है । ये आधुनिक सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं । एक औद्योगिक उद्यम शुरू करने में महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक उपयुक्त स्थान का चुनाव है जो उत्पादन लागत को कम करने और लाभ को अधिकतम करने में मदद करेगा। सर्वोत्तम स्थान का चयन करने के लिए, उद्यमी को निम्नलिखित कारकों के प्रभाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए अतः उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु आवश्यक अनूकूल दशाएँ अथवा कारक महत्वपूर्ण हैं ।

उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित वाले कारक :–

उद्योगों के स्थानीयकरण को श्रम का भौगोलिक या क्षेत्रीय विभाजन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ क्षेत्र या कस्बे कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। उनमें से कुछ राज्यव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य पूरे देश में और यहां तक कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जाने जाते हैं। कश्मीर के कुछ उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। मैसूर रेशम पूरे भारत में जाना जाता है और शेफ़ील्ड कटलरी का बाज़ार दुनिया भर में है। भारतीय उद्योगों में जो स्थानीयकृत हो गए हैं उनमें बंबई और अहमदाबाद में सूती कपड़ा उद्योग, यूपी और बिहार में चीनी उद्योग, कलकत्ता में जूट मिल उद्योग और बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लौह और इस्पात उद्योग का उल्लेख किया जा सकता है। ये स्थान या क्षेत्र अपने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। विशेषज्ञता के इस रूप को उद्योगों का स्थानीयकरण या केंद्रीकरण कहा जाता है।

सामान्य उद्योगो से तात्पर्य एक ऐसे परिसर से है जहां कच्चे माल को मशीनों की सहायता से निर्मित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया संचालित होती है। इस प्रकार की विस्तृत उद्योगों की स्थापना की परंपरा की शुरूआत औद्योगिक क्रांति के उपरांत प्रारम्भ हुई थी । जब पारम्परिक उद्योगों का स्वरूप विस्तृत परिसर वाले मशीनीकृत उद्योगों ने ले लिया था किसी उद्योग के विशिष्ट स्थान अथवा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के परिणामस्वरूप स्थापित होने को उद्योगों का स्थानीयकरण कहते है अर्थात इसमें उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो यह निर्धारित करते हैं । कोई स्थान विशेष किसी उद्योग के स्थापना व विकास के लिए कितना उपयुक्त है। ऐसे कई कारक हैं जो कुछ निश्चित उत्पादों में विशेषज्ञता वाले कुछ केन्द्रों के लिए जिम्मेदार हैं। यह आंशिक रूप से जलवायु, मिट्टी की प्रकृति, खनिजों की उपस्थिति और बिजली संसाधनों जैसे प्राकृतिक कारणों के कारण है। फिर, श्रम और पूंजी की उपलब्धता और मार्कर्रों से निकटता जैसे आर्थिक कारक भी हैं। कभी–कभी राजनीतिक कारक भी संरक्षण बढ़ाकर और बाहरी प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करके स्थानीयकरण में सहायता करते हैं।

1. भौगोलिक कारक :–

कच्चे पदार्थो की उपलब्धता –

प्राथमिक आर्थिक क्रिया द्वारा प्राप्त जिस पदार्थ को परिष्कृत कर उसके रूप और गुण में परिवर्तन करके अधिक उपयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, उसे कच्चा पदार्थ कहा जाता है। विभिन्न विनिर्माण उद्योगों की स्थापना में कच्चे पदार्थों की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण होती है। कच्चे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं।

(अ) सर्वव्यापी पदार्थ

(ब) स्थानिक पदार्थ

सर्वव्यापी पदार्थ सभी स्थानों पर प्राप्त होते हैं और उनका मूल्य सभी स्थानों पर लगभग समान रहता है, किन्तु स्थानिक पदार्थ किसी क्षेत्र विशेष में ही पाये जाते हैं, सर्वत्र नहीं अतः स्थानिक पदार्थ किसी उद्योग की स्थापना को अधिक प्रभावित करते हैं।

गुण के आधार पर कच्चे पदार्थो को दो भागों में बाँटा जाता है–

(अ) शुद्ध पदार्थ

(ब) मिश्रित पदार्थ

शुद्ध पदार्थो का वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता है, जैसे कपास से सूत अथवा सूत से कपड़ा बनाना किन्तु मिश्रित पदार्थो का वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है, जैसे लौह अयस्क से इस्पात बनाना अथवा बॉक्साइट से एल्यूमीनियम बनाना । ऐसे पदार्थ उद्योगों को खनिज पदार्थ के स्रोत पर स्थापित होने के लिये बाध्य करते हैं।

कच्चे पदार्थो का अन्य विभाजन :–

(अ) प्राकृतिक पदार्थ – जैसे वनस्पति, पशुओं एवम् खनिजों से प्राप्त अयस्क / पदार्थ ।

(ब) अन्य आर्थिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद जैसे कोलतार, काष्ठ लुग्दी, सूती व अन्य धागे, इस्पात आदि ।

औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ में जब परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था, निर्माण उद्योगों की स्थापना कच्चे पदार्थों के स्रोतों के समीप ही की जाती थी। किन्तु वर्तमान समय में परिवहन के तीव्रगामी साधनो का विकास हो जाने के कारण कच्चे पदार्थों के स्रोतों से दूर भी निर्माण उद्योग की स्थापना होने लगी है। फिर भी अधिक परिवहन लागत के कारण अनेक भारी उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति स्थलों के समीप ही स्थापित होते हैं। जैसे एक टन इस्पात उत्पादन के लिये लगभग चार टन कच्चे पदार्थो की आवश्यकता होती है, जिसमें केवल कोयले की मात्रा लगभग पौने दो टन होती हैं और इस मात्रा का थोड़ा भाग भी इस्पात के भार में सम्मिलित नहीं होता, अतः लोहा व इस्पात कारखानों की स्थापना कोयला स्रोतों द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है। इसी प्रकार शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थो से सम्बन्धित उद्योग भी उनके उत्पादन क्षेत्रों के समीप ही स्थापित होते हैं, जैसे दुग्ध उद्योग, चीनी उद्योग आदि ।

(प) कच्चा माल :–

कच्चा माल उद्योग अवस्थिति पर प्रभाव डालता है । कच्चामाल किसी भी उद्योग के स्थापना व परिचालन हेतु कच्चा माल प्रमुख घटक तत्व होता है एवं उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है। यदि कच्चा माल भारी है तो कच्चे माल से निकटता स्थानीयकरण की एक अनिवार्य शर्त है। एक सीमेंट फैक्ट्री चूना पत्थर की चट्टान के पास होनी चाहिए; लौह और इस्पात उद्योग वहां स्थित होना चाहिए जहां लौह–अयस्क के क्षेत्र, कोयला–खदान और प्रचुर मात्रा में पानी निकटता में पाया जाता है। ये शर्तें बिहार और पश्चिम बंगाल में आदर्श रूप से पूरी होती हैं। जैसे– भारह्यसी पदार्थो (लोहा, कोयला) आदि पर आधारित उद्योग खानों के समीप ही लगाये जाते है अन्यथा यातायात का व्यय बढ़ जायेगा और निवेश के उत्पादन से अधिक होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जल्द खराब होने वाली कच्चे पदार्थ जैसे–फल, सब्जियाँ, दूध इत्यादि से संबंधित उद्योग भी कच्चे माल के समीप ही लगाये जाते है। इसके विपरीत कुछ वस्तुऐं ऐसी भी होती है जिसके उत्पादन के दौरान उसके भार में कमी नहीं होती है अतः ऐसी वस्तुओं से संबंधित उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के समीप स्थापित होना अनिवार्य नहीं है। जैसे– सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, घड़ी उद्योग इत्यादि ।

(पप) शक्ति के साधनों की सुलभता :–

उद्योगों के लिये काफी मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के वृहद् पैमाने पर उत्पादन सम्भव ही नहीं है। अतः निर्माण उद्योगों की स्थापना प्रायः उन क्षेत्रों में होती है, जहाँ शक्ति के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। शक्ति के साधनों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है–

(अ) जैविक साधन – कोयला व खनिज तेल ।

(ब) अजैविक साधन जलविद्युत, परमाणु विद्युत ।

कोयला शक्ति का एक भारी संसाधन है, इसलिये औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ में उद्योगों में कोयला ही शक्ति का प्रमुख साधन था, अधिकांश विनिर्माण उद्योगों की स्थापना कोयला क्षेत्रों पर अथवा उनके समीप हुई, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत आदि देशों में प्रारम्भिक औद्योगिक इकाईयाँ इन देशों के कोयला क्षेत्रों में ही स्थापित हुई। इन प्रदेशों में कोयले की कमी आने पर कुछ उद्योगों ने तो अपना स्थान परिवर्तित कर लिया और कुछ उन्हीं स्थानों पर अधिक उत्पादन लागत पर भी कार्यरत रहे । वर्तमान समय में खनिज तेल, जल और परमाणु विद्युत की सहज एवम् वांछित स्थानों पर उपलब्धता के कारण शक्ति के साधनों की समीपता उद्योगों की स्थापना के लिये उतना अधिक प्रभावशाली कारक नहीं रहा है और उद्योगों में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है। अब उद्योगो की स्थापना में दूसरे कारकों का प्रभाव बढ़ा है।

(पपप) सस्ता एवम् कुशल श्रम :–

सस्ता एवम् कुशल श्रम सभी उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यक अनिवार्यता है। श्रमिकों की आवश्यकता का निर्धारण भिन्न–भिन्न उद्योगों के उत्पादन के पैमाने, उत्पादन की विशेषता आदि द्वारा होता है। यह बात अलग है कि वर्तमान समय में उद्योगों के अधिकाधिक मशीनीकरण एवम् स्वचालन के कारण मजदूरों की आवश्यकता में कमी आई है। सामान्यतः उद्योगों में सामान्य और दक्ष दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती हैं, किन्तु मशीनीकरण एवम् स्वचालन के कारण दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता में बढोतरी हुई है। ग्रेट ब्रिटेन के लंकाशायर क्षेत्र में कपड़ा उद्योग और हॉलैण्ड की राजधानी एम्सटरडम में हीरों की कटाई का उद्योग दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता के कारण ही प्रारम्भ किया गया किन्तु वर्तमान समय में जब विश्व एक ग्लोबल गाँव में परिवर्तित हो चुका है, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता भी उतना अधिक प्रभावशाली कारक नहीं रह गया है, क्योंकि इनकी आपूर्ति अब किसी भी देश से की जा सकती है।

(पअ) बाजार की समीपता :–

जिन स्थानों पर औद्योगिक उत्पादन की खपत होती हैं, उन्हें बाजार कहा जाता है। खपत की मात्रा उपभोक्ता की रूचि एवम् मांग पर निर्भर करती है। अतः उद्योगों को उपभोक्ता की रूचि और मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। स्वाभाविक है इसके लिये उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में भी परिवर्तन करने होते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग, सिले हुए वस्त्र आदि । अतः वर्तमान में उद्योगों की स्थापना और विकास में बाजार की समीपता सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हो गया है, ताकि उपभोक्ता की रूचि और मांग का निरन्तर अध्ययन किया जा सके। हल्की एवम् मूल्यवान वस्तुएँ उत्पादित करने वाले उद्योगों, जैसे घड़ियाँ, कैमरा, टेपरिकॉर्डर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि की खपत केन्द्रों से दूर भी स्थापित किये जा सकते हैं।

(अ) परिवहन के साधन :–

बिना परिवहन के साधनों के औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उद्योगों तक कच्चे पदार्थ पहुँचाने और उत्पादित पदार्थो को खपत केंन्द्रों तक पहुँचाने के लिये परिवहन के साधनों की महती आवश्यकता होती है। परिवहन के साधनों का सस्ता और तीव्रगागी होना भी आवश्यक है। किसी भी उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण में परिवहन लागत एक महत्त्वपूर्ण कारक होता है। परिवहन लागत अधिक होने पर उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है, जो वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्दात्मक स्थिति में उद्योग के विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। सड़को, रेलमार्गो, वायुमार्गो तथा नहरों की पर्याप्त सुविधा उद्योगों के विकास पर गहरा प्रभाव डालती है इसलिए विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र समुद्र तटों अथवा नहरों के किनारों पर स्थिति है जहाँ सस्ते जल यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जैसे ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी,

संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। जिन देशों में जल यातायात की सुविधा नहीं है, वहाँ रेलमार्गों के सहारे उद्योगों का विकास हुआ है जैसे साबेरियन रेलमार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, चीन व भारत के रेलमार्ग आदि ।

(अप) स्वच्छ जल की आपूर्ति :–

वृहद् पैमाने के उद्योगों में विशेष रूप से अधिक मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा–इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, काष्ठ लुग्दी एवम् कागज उद्योग आदि । अतः जलापूर्ति भी कहीं–कहीं उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का औद्योगिक विकास जलाभाव के कारण ही बाधित है। अध्ययन क्षेत्र दौसा जिले से बाणगंगा नदी व भूजल के स्रोत विकसित है जिनसे उद्योगों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति आसानी से हो जाती है ।

(अपप) अन्य भौगोलिक कारण :–

सस्ती भूमि, स्वास्थ्यप्रद जलवायु और वर्तमान समय में उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवम् उपयोग की व्यवस्था एवम् पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभाव से संरक्षण का उचित प्रबन्ध अन्य महत्त्वपूर्ण भौगोलिक कारक हैं, जिनका प्रभाव उद्योगों की स्थापना पर पड़ता है। निर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण उपरोक्त प्रधान कारकों अतिरिक्त कुछ अन्य कारक निम्नलिखित हैं–

2. आर्थिक कारक :–

आर्थिक कारकों में पूँजी की उपलब्धता उद्योगों की स्थापना व विकास के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। उद्योग की स्थापना के लिये भूमि से लेकर कारखाने की व्यवस्था और संचालन करने, कच्चे पदार्थ, श्रमिक और शक्ति प्राप्त करने, कच्चे माल और उत्पादित माल के परिवहन के लिये बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। अतः बिना पूँजी के किसी देश के औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। औद्योगिक दृष्टि से कुछ देशों का विकसित होना और अधिकांश देशों का अविकसित होना पूँजी की उपलब्धता का ही परिणाम है। सौभाग्य से हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिये अन्य सुविधाओं के साथ – साथ पूँजीपतियों की कमी नहीं है और उद्योगों की स्थापना और विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्धता है। औद्योगिक विकास उन देशों में अधिक हुआ है जहाँ पूँजी की उपलब्धता है। विकसित देशों जैसे सयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान आदि देशों में उद्योगों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । अध्ययन क्षेत्र में भी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है ।

अध्ययन क्षेत्र दौसा जिले में उद्योगों के विकास के लिए पूँजी का उपलब्धता महत्वपूर्ण है । यहाँ बैंकों से ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है इसके साथ ही दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहरी कम्पनियों ने भी उद्योगों हेतु यहाँ निवेश किया है । विदेशी कम्पनियों द्वारा बाँदीकुई रीको क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है ।

3. तकनीकी कारक :–

वर्तमान समय में विभिन्न उद्योगों की स्थापना और विकास में तकनीकी विकास का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए अनेक विकासशील देशों को विकसित देशों से प्रौद्योगिक मदद लेनी पड़ती है और अपने वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं, तकनीशियनों आदि को विकसित देशों में प्रशिक्षण के लिये भेजना पड़ता है।

4. राजनैतिक कारक :–

सरकारी नीतियों, करो की संरचना, राजनैतिक परिदृश्य व स्थिरता, शान्ति, देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक संतुलन की नीति आदि का प्रभाव विभिन्न उद्योगों की स्थापना, चयन और विकास पर पड़ता है।

5. ऐतिहासिक कारक :–

एक बार जब कोई उद्योग किसी क्षेत्र में विकसित हो जाता है, तो उस क्षेत्र में उसके अधिक विकास के लिये अनेक सहयोगी कारक उत्पन्न हो जाते हैं। इसे पूर्व स्थापना जन्य लाभ कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों की ओर अन्य उद्योगपति तेजी से आकर्षित होते हैं। मुम्बई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, किशनगढ़ में संगमरमर उद्योग की स्थापना इसके प्रमुख उदाहरण है। ऐसे क्षेत्रों में संगठनात्मक अनुभव का लाभ भी प्राप्त होता है।

उद्योग अवस्थितिकरण सिद्धान्त :–

किसी उद्योग की स्थापना किस स्थान पर उपयुक्त एवं सर्वाधिक लाभदायक रहेगी इसका निर्णय करना एक कठिन समस्या है। उद्योगों के स्थानीयकरण पर अन्वेषणा करने वाले प्रमुख आर्थिक भूगोलवेत्ताओं के ये सिद्धान्त प्रमुख हैं– अल्फ्रेड वेबर (1929), आगस्ट लांश (1954), ई.एम. ह्युवर (1948), वाल्टर इजार्ड (1956), डी. एम. स्मिथ (1966) एवं अमेरिकन भूगोलवेत्ता ए. के. फिल्ब्रिक आदि प्रमुख हैं ।

अध्ययन क्षेत्र दौसा जिले का औद्योगिक विकास लगातार परिवर्तित हो रहा है। परिचालन स्तर आदि से उद्योगों विभिन्न वर्गों फेरबदल हो रहा है । अध्ययन क्षेत्र दौसा ज़िले में उद्योगों विभाजन समय समय पर होता रहा है ।

विनिर्माण उद्यम :–

एक सूक्ष्म उद्योग वह जिसमें प्लांट मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक होता है । एक लघु उद्योग वह जहाँ मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से 01 करोड़ रुपये तक होता है । अध्ययन क्षेत्र दौसा ज़िले में इस प्रकार के उद्योग सिकन्दरा, महुवा, बांदीकुई, लालसोट, दौसा व मण्डावर में मिलते है । इसमें तेल मील, कपास उद्योग, दाल मील एवं पत्थर की मूर्ति व अन्य कार्य प्रमुख हैं ।

सेवा उद्यम :–

वह उद्योग जिसमें उपकरणों का निवेश 10 लाख रूपये से अधिक होता है । निवेश 10 लाख रूपये अधिक लेकिन 02 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होता है । एक मध्यम उद्योग, जहाँ उपकरणों में निवेश 02 करोड रूपये से अधिक ना हो सेवा उद्यम की श्रेणी में शामिल होते हैं । अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग बांदीकुई रीको औद्योगिक क्षेत्र, बसवा, सिकराय मानपुर, सिकन्दरा, लालसोट एवं दौसा जिला मुख्यालय पर इस प्रकार के उद्योग विकसित हैं ।

अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास :–

अध्ययन क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, विस्तार व आधुनिकीकरण कार्यों हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको, अखिल भारतीय विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं व राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं साख उपलब्ध कराई जा रही है। अध्ययन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक विकास की संस्थाएं निम्न है :–

1. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड

2 राजस्थान वित्त निगम

3. जिला उद्योग केन्द्र

4 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड

1. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (लिमिटेड) :–

स्वतंत्रता के समय राजस्थान राज्य में उपलब्ध बड़े उद्योग अन्य राज्यों की तुलना में नगण्य थे। 1956 में राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए मार्च 1969 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) की स्थापना की गई। यह संस्था 1956 के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक लिमिटेड सस्था के रूप में स्थापित है। सन् 1979 तक इस संस्था के अन्तर्गत खनिज उद्योगों का विकास भी सम्मिलित था। सन् 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की अलग से स्थापना की गई। इस प्रकार जनवरी, 1980 से इस का राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम (रीको) कर दिया गया। वर्तमान में इसका कार्य क्षेत्र केवल औद्योगिक विकास तक ही सीमित है अतः इस निगम का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की स्थापना में सहायता करना तथा औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। रीको का संचालन 13 सदस्यों का एक संचालन मण्डल करता है। इसके 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अध्ययन क्षेत्र दौसा जिला व बांदीकुई रीको औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है ।

प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य' :–

परियोजनाओं का चयन करना, उनके लिए आशय पत्र (स्मजजमत वि पदजमदज) व औद्योगिक लाइसेस प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमकर्त्ताओं से मिलकर या स्वयं उनका क्रियान्वयन करना।

- ★ उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन करना एवं उद्योगों की स्थापना के लिए फैक्ट्री शेड उपलब्ध करना ।
- ★ मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगो के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना ।
- ★ नवीन औद्योगिक क्षेत्रों व बस्तियो का निर्माण करवाना
- ★ औद्योगिक इकाईयों के शेयर क्रय करना ।
- ★ औद्योगिक उपक्रमों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना उनकी परियोजनाओं के प्रतिवेदन तैयार करवाना।
- ★ उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, सुविधाऐं एवं रियायतें देना ।
- ★ औद्योगिक परियोजनाओं का संचालन करना ।
- ★ नवीन उद्योगों के लिए प्रवर्तक के रूप में कार्य करना ।
- ★ प्रवासी भारतीयों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाना।

औद्योगिक विकास में निगम की भूमिका :–

औद्योगिक विकास निगम राजस्थान की औद्योगिक नीति के अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों में औद्योगिक सन्तुलन बनाए रखने के उद्देश्य से औद्योगिक रूप से पिछड़े वर्गो में विशेष सुविधाऐं और अनुदान प्रदान करता है। राज्य में औद्योगिक विकास में इस निगम की भूमिका निम्न प्रकार से है ।

(1) औद्योगिक क्षेत्रों का विकास यह निगम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 334 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर चुका है। 2010–11 में एक दर्जन से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये थे। जिनमें लगभग 18000 उद्योग स्थापित हो चुके है। सन् 2011–12 में दौसा जिले में बाँदीकुई क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु रीको का निर्माण शुरू हुआ जिसमें 20 करोड़ की लागत आई। दिल्ली के समीप होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के दौसा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें बांदीकुई व सिकन्दरा को फ्लेगशिप क्षेत्र (सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं वे योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सिंचाई, रोजगार, शहरी और ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों में या फिर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करती हैं।) मानकर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे है । बांदीकुई , सिकराय , मानपुर , दौसा व बसवा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार रीको नियोजन बोर्ड की वित्तीय सहायता से विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा दौसा के समीप औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

(2) औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दौसा ज़िले में रीको के सहयोग से विकास केंद्रों की स्थापना की गई है ।

(3) वित्तीय सहायता प्रदान करना । यह निगम विभिन्न उद्योगों को सन् 1992–93 से ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह वित्तीय सहायता निम्न रूपों में दी जाती है

(अ) सावधि ऋण

(ब) अंश पूँजी

(स) ब्याज मुक्त कर्ज

(4) रीको राज्य की अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे राजस्थान वित्त निगम, औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो, उद्योग विभाग आदि के समन्वय व सहयोग से निम्न प्रकार से प्रोत्साहन देता है –

(अ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महानगरों में औद्योगिक शिविर लगाना, नये उद्योगों की स्थापना के लिए सभी सम्भावित जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराना ।

(ब) वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सूचीबद्ध करना और उनको विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के समय से निश्चित कालावधि तक बिक्री कर में छूट या ब्याज मुक्त ऋण की सुविधाऐं प्रदान करना ।

(स) राज्य के उत्पादों को प्रतिस्पद्ध बनाने के लिए समय–समय पर ब्याज दर, कस्टम ड्यूटी आदि को तर्क समस्त बनाना । सन् 2010–11 में रीको द्वारा वृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऋण की ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी की गई है।

(द) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित करना ।

(य) उद्योग श्री योजना के अन्तर्गत क्षमतावान उद्यमियों को उधार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(5) रोजगार उपलब्ध कराना निगम की सहायता से स्थापित इकाइयों में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं राजस्थान में नई प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों का विकास करना– राज्य में उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए विदेशों से प्रौद्योगिकी की सहायता ली जाती है।

(6) पिछडे क्षेत्रो का आर्थिक विकास :–

राजस्थान में जन जातीय क्षेत्र उद्योग के संदर्भ में पिछड़े हुये हैं। इन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए निगम द्वारा अधिक सहायता दी जाती है तथा विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

2. राजस्थान वित्त निगम (त्रेंजींद थ्पदंदबपंस ब्वतचवतंजपद) :–

वित्त अधिनियम 1951 के अन्तर्गत सन् 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी । अतः यह एक वैधानिक निगम है। राजस्थान के लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्त की व्यवस्था करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में है। क्षेत्रीय स्तर पर 11 कार्यालय है। ये क्षेत्रीय कार्यालय सम्पूर्ण राज्य में स्थापित 41 शाखा कार्यालयों और जयपुर बीच समन्वय का कार्य करते हैं। के मुख्यालय के राजस्थान वित्त निगम का प्रबन्ध एक सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। इसमें 13 मनोनीत सदस्य होते हैं। निगम की 06 सदस्यों की एक कार्यकारिणी होती है। यह कार्य कारिणी संचालक मण्डल को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। इसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक निगम की व्यवस्था देखते हैं।

प्रमुख कार्य :–

ऐजेन्ट के रूप में कार्य करना :–

निगम के संचालक मण्डल में भारतीय रिर्जव बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम राज्य सरकार के मनोनीत सदस्य होते हैं। अतः राजस्थान वित्त निगम इन संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण के लिए प्रतिनिधि या एजेण्ट के रूप में कार्य करता है तथा उन्हें ऋणों की गारन्टी भी प्रदान करता है।

ऋण व अग्रिम राशि अधिकतम 3 करोड रुपये तक प्रदान की जाती है । ऋण दीर्घकाल के लिए व अग्रिम राशि के रूप में दिया जाता है।

नई औद्योगिक इकाईयों को सीड पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान आदि की वित्तीय सहायता देता है। अभिगोपन का कार्य औद्योगिक इकाईयों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र, अंश या अन्य प्रतिभूतियों के अभिगोपन का कार्य करता है।

वित्तीय साधन :–

निगम की अधिकृत पूँजी 100 करोड़ रुपये है। यह पूँजी 100 रुपये मूल्य के प्रति अंश की दर से एक लाख अंशों में विभक्त है। निगम को इस पूँजी के अलावा कुछ विशेष शेयर पूँजी राज्य सरकार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और सिडबी से भी प्राप्त होती है। यह निगम ऋण पत्र जारी करके भी पूँजी जुटाता है ।

वित्तीय सहायता :–

राज्य में लघु एवं मध्यम इकाईयों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग–अलग योजनाएं चल रही है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ब्याज दर में 2 प्रतिशत की कमी करके 05 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

महिला उद्यमियों को विशेष पूँजीगत सहायता ।

रुग्ण इकाइयों को कुछ समय के लिए किश्तों का भुगतान स्थगित किया जाता है और ब्याज़ की दण्डनीय राशि भी माफ कर दी जाती हैं।

भूतपूर्व सैनिको, तकनीकी शिक्षा प्राप्त उद्यमियों, अस्पतालो, विकलाग व्यक्तियों, प्रोद्योगिकी के उन्नयन आदि के लिए निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वित्त निगम औद्योगिक इकाईयों में आधुनिक तकनीक विकास के लिए भी वित्तीय सहातया प्रदान करता है। इसमें मशीनरी का उन्नयन तकनीक का संवर्द्धन, संयंत्र का नवीनीकरण सम्मिलित है।

त्थ्ब की योजनाएं :–

1. स्वर्ण कार्ड योजना :–

इसके अन्तर्गत नियमित रूप से कर्ज अदायगी कर्ताओं को कार्यशील पूँजी तथा अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के लिए 30 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

2. सेमफेक्स ँमसफ मिउचसवलउमदज वित म•मतअपबमकमउंद) :–

इसके अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत सरकार के पुनर्वास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार के कार्यक्रम लागू किये जाते हैं।

3. टैक्नोकेट योजना :–

तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है।

4 कम्पोजिट टर्म लोन स्कीम :–

ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के दस्तकारों, कुटीर व अति लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

5. गुड बोरोअर्स स्कीम :–

इसके अन्तर्गत 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर विद्यमान ऋण लेने वाले जो निगम को भुगतान समय पर करते हैं, को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना ।

6. महिला उद्यम निधि :–

निगम द्वारा महिला उद्यमकर्ताओं को स्वरोजगार देने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ँप्क्ठप्) द्वारा संचालित महिला उद्यम निधि के अन्तर्गत महिला उद्यमकर्ताओं को सीड पूँजी दी जाती है।

7. एकल खिड़की स्कीम :–

निगम द्वारा संचालित सहायता की एकल खिडकी स्कीम के अन्तर्गत एक मुश्त 750 लाख रूपये उपलब्ध कराये जाते हैं जिनमें से 5 लाख स्थिर पूँजी हेतु तथा 2.50 लाख कार्यशील पूँजी हेतु उपलब्ध होते हैं। इस योजना में 50 लाख की लागत वाली परियोजनाओं को शामिल किया जाता है।

8. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम :–

निगम द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के उद्यम लगाने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत की विशेष छूट उपलब्ध कराता है।

9. नवीन योजनाएं :–

राजस्थान वित्त निगम द्वारा नवीन योजनाऐं तथा प्लेटिनम कार्ड ऋण योजना, फास्ट ट्रेक ऋण योजना, रोल ओवर कम प्रिन्सिपल रिप्लेसमेन्ट योजना इंटरेस्ट रिलीफ योजना आदि क्रियान्वित की जा रही है।

10. बीमा सुविधाएं :–

राजस्थान वित्त निगम और यूनाईटेड इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी के बीच हुए समझौते के अनुसार राजस्थान वित्त निगम अब सभी औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक संस्थानों और परिवहन इकाईयों के बीमा सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।

3. जिला उद्योग केन्द्र :–

जिला उद्योग केन्द्र, केन्द्र स्तर पर संचालित कार्यक्रम हैं जो मध्यम, कुटीर व ग्रामीण लघु / अतिलघु उद्योगों से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करता है। यह कार्यक्रम 1978 से संपूर्ण भारत वर्ष में लागू हुआ। प्रारम्भिक रूप से यह केन्द्र सरकार का कार्यक्रम था जिसके अन्तर्गत 11 जिलों में जिला केन्द्रों की स्थापना हुई जो कालांतर में बढ़कर सभी जिला स्तरीय मुख्यालयों पर स्थापित हो गया। समय–समय पर लिये गये निर्णयों के अनुसार जयपुर जिले में ग्रामीण व शहरी तथा दौसा में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये। जिलों मे इस महत्वाकाक्षी कार्यक्रम के लागू होने से औद्योगिक विकास को गति मिली।

प्रोन्नत पहलुओं की देखरेख करने तथा विशिष्ट क्षेत्र के औद्योगिकरण हेतु अन्य संगठनों से संपर्क स्थापित करने के लिए वर्तमान में 34 जिला उद्योग केन्द्र तथा 7 उपकेन्द्र ब्यावर, फालना, आबू रोड, बालोतरा, मकराना, फलौदी एव किशनगढ़ उद्योग आयुक्तालय के अधीन कार्यरत है।

जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हाथकरघा विकास निगम एवं राजसीको आदि के बीच कड़ी स्थापित करने का कार्य करता है। जिला उद्योग को वित्तिय सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ब्याज अनुदान, बीमा हेल्थ पैकेज, गृह उद्योग की योजनाएँ संचालित की जा रही हैं । प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से लागू किया गया है। योजनान्तर्गत 25 लाख रूपये तक उद्योग स्थापित करने हेतु एवं 10 लाख रूपये व्यवसाय व सेवा क्षेत्र हेतु उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अनुदान एस. सी. / एस.टी./ओ.बी.सी., महिलाओं को 25 प्रतिशत अनुदान क्रेडिट गारण्टी के साथ उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित हैं।

4. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड :–

इस की स्थापना 3 जून, 1961 को राज्य की लघु इकाईयों एवं हस्तशिल्पियों को सहायता, प्रोत्साहन तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन को ध्यान में रखते हुए की गई थी। 01 फरवरी 1975 को इसे सार्वजनिक कम्पनी का स्वरूप प्रदान किया गया। प्रारम्भ में इसकी पूँजी 2 करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूँजी 3. 85 करोड़ रुपये थी।

निष्कर्ष :–

राजस्थान में लघु पैमाने की औद्योगिक इकाईयों को कच्चे माल, साख, तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता, वस्तुओं की बिक्री, प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देता है तथा उनके हितों को आगे बढ़ाता है। उद्यमकर्ताओं व दस्तकारों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करके हस्तशिल्प क्रियाओं का विकास करता है। बड़े पैमाने व लघु पैमाने की इकाईयों में आवश्यक समन्वय व तालमेल स्थापित करता है ताकि लघु पैमाने की इकाईयाँ बड़े पैमाने की इकाईयों की सहायता हेतु माल तैयार कर सकें। ऊनी यार्न, गलीचों, कम्बलो आदि का उत्पादन कर सकने के लिए संयन्त्र प्राप्त करना, स्थापित करना तथा उनको चलाना । लघु उद्योगों से संयंत्र की उत्पादन क्षमता का उपयोग कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना । लघु उद्योग इकाइयों के लिए विभिन्न कच्चे मालों का उपार्जन एवं वितरण अपने सार्थक प्रयासों के द्वारा हस्त

शिल्प के प्रसार, प्रचार व विपणन की व्यवस्था करना ।उत्पादकों तथा दस्तकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना । प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं नये डिजाईनों को विकसित करवाना ।

सन्दर्भ सूची :–

1. उद्योग योजना कार्यालय, जयपुर राजस्थान।

2. आर्थिक भूगोल, काशीनाथ जगदीश सिंह, ज्ञानोदय प्रकाशन, वाराणसी ।

3. आर्थिक भूगोल, बी सी जाट, पंचशील प्रकाशन, जयपुर ।

4. रीको उद्योग विकास केंद्र, जयपुर ।

5 औद्योगिक भूगोल, हिमांशु प्रकाशन, हिरण मगरी, उदयपुर ।